न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

पीठासीन अधिकारी दिनेश शर्मा आर0ए0एस

मुकदमा नं0 09/2024

1. अंगूरी पत्नी स्व0 बाबूलाल
2. गब्बर पुत्र स्व0 बाबूलाल
3. टोना उर्फ नन्दबिहारी दत्तक पुत्र मंगल सिंह
4. नन्द किशोर पुत्र बाबूलाल
5. भजन लाल पुत्र नानगा
6. लखमी चन्द पुत्र बाबूलाल जातियान माली निवासी दीवान मौहल्ला कामाँ तहसील कामां जिला डीग राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय कामाँ जिला डीग प्रान्त राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री अमित कुमार शर्मा प्रार्थीगण

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

निर्णय

दिनांक :– 27/12/2024

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 व 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर नया 1837/0.15 पुराना खसरा नम्बर 5859/0.15 एवं आराजी खसरा नम्बर 1838/0.20 पुराना खसरा नम्बर 5860/0.19 हैक्टेयर बांके कस्बा कामां नं0 3 में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त आराजी खसरा नम्बरान के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नये बन्दोबस्त राजस्व रिकॉर्ड में बंदोबस्त कर्मचारियों द्वारा आराजी खसरा नम्बर नया 1837/0.15, 1838/0.20 हैक्टर का जो नया नक्शा ट्रेस तैयार किया गया है वह खिलाफ मौका व खिलाफ रिकॉर्ड तैयार किया गया है। मौके पर एवं पुराने नक्शा ट्रेस में आराजी खसरा नम्बर 5859/0.15 के पूर्व दिशा में आराजी खसरा नम्बर 5860/0.19 हैक्टर स्थित था जबकि नये नक्शा ट्रेस में आराजी खसरा नम्बर 5860/0.19 को नया खसरा नम्बर 1838 बनाते हुये दक्षिण दिशा में अंकित कर दिया है बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा जिस स्थान पर खसरा नम्बर 1838 अंकित किया गया है। वन्दोवस्त कर्मचारियों द्वारा जिस खसरा नम्बर 1839 अंकित किया गया है उस स्थान पर पुराना खसरा नम्बर 5861 था। खसरा नम्बर 5861 का नया खसरा नम्बर 1839 है। बंदोबस्त कर्मचारियों द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1837 का वर्तमान नक्शा ट्रेस जो तैयार किया गया है उस नक्शा ट्रेस में 1837 व 1838 को एक ही खसरा नम्बर 1837 अंकित किया गया है जबकि पुराने नक्शा ट्रेस व मौके के अनुसार खसरा नम्बर 1837 के मौजूदा नक्शा ट्रेस में ही दो भाग करने थे जिसमें पश्चिम भाग को 1837 अंकित करना था तथा पूरबी भाग को 1838 अंकित करना चाहिये था। मुताबिक पुराने राजस्व नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी के मौजूदा नक्शा ट्रेस आराजी खसरा नम्बर 1837 के दो भाग होने है जिसमें पश्चिमी भाग को 1837 अंकित किया जाना है तथा पूरवी भाग को 1838 अंकित किया जाना है एवं जिस स्थान पर खसरा नम्बर 1838 अंकित है उस स्थान पर 1839 अंकित किया जाना है। जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजूदा स्थिति व पुराने रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में संशोधित कर खसरा नम्बर 1837 के दो भाग किये जाकर पश्चिमी भाग को खसरा नम्बर 1837 व पूरवी भाग को खसरा नम्बर 1838 दर्ज कराये जाने के आदेश फरमाये जावें।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी तहसीलदार कामां द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2024 /1577 दिनांक 30.07.2024 से प्रकरण में वर्णित आराजी की मौका रिपोर्ट पेश की है जो मौके की मौजूदा स्थिति व वर्तमान नवीन नक्शा में संशोधन कर आराजी खसरा नम्बर 1837 के पश्चिमी भाग में 1837 व पूर्वी भाग में 1838 दर्ज करने के आदेश फरमाये जिसमें पटवारी हल्का कामां नं0 3 की राजस्व रिकॉर्ड व मौके की तत्थात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार से है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 5859 का हाल नम्बर 1837/0.15 व साविक नम्बर 5860 का हाल नम्बर 1838/0.20, साविक नम्बर 5861 मि0 का हाल नम्बर 1839/0.17 व साविक नम्बर 5861 मिन का हाल नम्बर 1840/0.05 हैक्टर बनाया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 3 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1837/0.15, 1838/0.20 पर अंगूरी पत्नी स्व0 बाबूलाल हिस्सा 2/35 , गब्बर, नंनदकिशोर ,लखमीचन्द पिसरान बाबूलाल वाहिस्सा बराबर 12/35, टोना उर्फ नंदबिहारी दत्तक पुत्र मंगल हिस्सा 1/5, भजन लाल पुत्र नानगा हिस्सा 2/5 कौम माली साकिन कामां खातेदार दर्ज रिकॅार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 281 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1839/0.17, 3019/1822/0.11, 3020/1822/0.16 नगर पालिका कामां में दर्ज रिकॅार्ड है एवं आराजी खसरा नम्बर 1840/0.05 पी0डब्लू0डी0 में दर्ज रिकॅार्ड है। आराजी खसरा नम्बर नवीन नक्शा में 1837 के स्थान पर 1837 पश्चिम दिशा में तथा 1838 पूर्व दिशा में अंकित होगा तथा आराजी खसरा नम्बर 1838 के स्थान पर उत्तर दिशा में 1839 तथा दक्षिण दिशा में 1840 दर्ज होगा। इसी प्रकार 1839 व 1840 के स्थान पर 3020/1822 दर्ज होगा तथा 3020/1822 एवं खाली स्थान की जगह 3019/1822 दर्ज होगा जिसमें मौका व कब्जा काश्त के आधार पर शुद्धि किया जाना उचित होगा।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में पार्थना पत्र में लिखित तथ्यों को दोहराया कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1837 की मौजूदा स्थिति व पुराने रिकॅार्ड के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में संशोधित कर खसरा नम्बर 1837 के दो भाग किये जाकर पश्चिमी भाग को खसरा नम्बर 1837 व पूरवी भाग को खसरा नम्बर 1838 दर्ज कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया तथा तहसीलदार कामां से प्राप्त रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर नवीन नक्शा में 1837 के स्थान पर 1837 पश्चिम दिशा में तथा 1838 पूर्व दिशा में मौका व कब्जा काश्त के आधार पर दर्ज किया जाकर शुद्धि किये जाने की अभिशंषा के आधार पर शुद्व किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आज्ञा है कि :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956 को स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1837 के वर्तमान नक्शा ट्रेस में संशोधन कर खसरा नम्बर 1837 के माजूदा कब्जा व पुराने नक्शा के आधार पर दो भाग किये जाकर पश्चिमी भाग को खसरा नम्बर 1837 व पूर्वी भाग को खसरा नम्बर 1838 दर्ज कर तहसीलदार कामाँ से प्राप्त नक्शा ट्रेश अनुसार संशोधित किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकॅार्ड में दुरूस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार कामां को निर्णय प्रति पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/12/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0